



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज



प्रो. अखिलेश कुमार दुबे

Prof. Akhilesh Kumar Dubey

अकादमिक निदेशक

Academic Director

पत्रांक: 60/14/सा.प./11/जा./4459

दिनांक: 24/07/2026

सूचना

क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज में संचालित चार वर्षीय स्नातक जनसंचार कार्यक्रम हेतु Non-CUET UG के माध्यम से अकादमिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु आमंत्रित आवेदन-पत्रों की छानबीन के उपरांत अर्ह पाए गए चयनित अभ्यर्थियों की अनंतिम वरीयता सूची निम्नवत है -

1. कार्यक्रम का नाम		चार वर्षीय स्नातक जनसंचार					
2. कुल सीटों की संख्या		अध्ययन केंद्र : क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज	UR	SC	ST	OBC	EWS
		60	24	9	5	16	6
		प्रत्येक श्रेणी में दिव्यांगों के लिए नियमानुसार आरक्षण लागू होगा					
3. निर्धारित न्यूनतम अर्हता		किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ दिव्यांगों के लिए 45%) अंक के साथ उत्तीर्ण					
क्रमांक	MGAHV आवेदन क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	प्रवेश हेतु चयनित श्रेणी	टिप्पणी		
1	MGAHV260000427	अर्चना	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	प्रवेश हेतु चयनित		
2	MGAHV260000365	अनुज कुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	प्रवेश हेतु चयनित		

टिप्पणी:

1. प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2026 तक है।
2. अभ्यर्थी को पंजीयन कराते समय ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित होना होगा।
3. काउंसलिंग के समय अपने मूल दस्तावेजों को जांच हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
4. अभ्यर्थी को अपने दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति (दो सेट) कार्यालय में जमा करना होगा।
5. प्रवेश के समय वैध आरक्षण श्रेणी प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी) आदि प्रस्तुत करना होगा।
6. अभ्यर्थी को https://www.antiragging.in/affidavit_university_form.php वेबसाइट से रैगिंग विरोधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. चयनित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता रखते हैं। किसी भी स्तर पर अनर्ह सिद्ध होने पर उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

प्रो. अखिलेश कुमार दुबे
अकादमिक निदेशक

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, प्रवेश समिति, 2026-27
2. अकादमिक विभाग, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा
3. जनसंचार विभाग 4. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)